

**यह सूचना भेजने की अन्तिम दिनांक 18 अगस्त 2017 सांय 5 बजे तक है**

पत्र प्रेषण क्रमांक :-

दिनांक :-

विद्यालय का नाम :-राजकीय.....विद्यालय .....ब्लॉक :-.....

यूडार्स कोड:-

0	8	0	1	0					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

संस्थाप्रधान का मोबाईल नं:-.....

## ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र छात्राओं की सूचना

क्र. सं.	विवरण	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12	योग कक्षा 9 से 12
1.	उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार अध्ययनरत छात्राओं की संख्या					
2.	अनुत्तीर्ण/पुनः प्रवेशी/अंक सुधार हेतु अध्ययनरत छात्राओं की संख्या					
3.	शेष छात्राओं की संख्या घटाइयें (1-2)					
4.	क्र.सं 3 में 5 किमी से अधिक की दूरी से आने वाली छात्राएं					
5.	क्र.सं 4 में साइकिल लेने वाली अथवा कक्षा 9 में साइकिल ले चुकी (कक्षा 10,11 व 12 की छात्राएं)					
6.	ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र छात्राएं (4-5)					
	<b>हस्ताक्षर कक्षाध्यापक</b>					

हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान मय मोहर

### उक्त प्रपत्र भरने हेतु सामान्य दिशा निर्देश -

- क्र.सं. 1 में कक्षा 9 से 12 की छात्राओं का 14 अगस्त 2017 तक का नामांकन भरना है तथा इन छात्राओं का नाम शाला दर्पण पर प्रविष्ट होना चाहिए।
- क्र.सं. 2 में गत परीक्षा अनुत्तीर्ण/पुनः प्रवेशी/अंक सुधार हेतु अध्ययनरत छात्राओं की संख्या भरनी है।
- क्र.सं. 4 में 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा वाईज भरनी है।
- क्र.सं 5 में कक्षा 9 में अध्ययनरत निःशुल्क साइकिल सुविधा हेतु पात्र छात्राओं की संख्या भरनी है (जो पूर्व में आप द्वारा जिशिअ कार्यालय भेजी गयी है) तथा कक्षा 10, 11 व 12 में विद्यालय में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने कक्षा 9 आपके अथवा राजस्थान के किसी भी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए साइकिल सुविधा का लाभ लिया है उनकी संख्या भरनी है।
- निवास स्थान से 5 किमी से अधिक की दूरी से आने वाली तथा कक्षा 9 में साइकिल सुविधा का लाभ न लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को **ट्रांसपोर्ट वाउचर** की सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत उन्हें प्रति उपस्थिति दिवस का रूपये 20/- की दर से भुगतान किया जायेगा।
- 5 किमी से अधिक की दूरी से आने वाली तथा कक्षा 9 में साइकिल सुविधा का लाभ न लेने वाली व ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में संकाय/विषय न होने पर **निकटतम शहरी क्षेत्र** के राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राओं को भी इस सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत उन्हें प्रति उपस्थिति दिवस का रूपये 20/- की दर से भुगतान किया जायेगा।
- यह सूचना इसी प्रपत्र में भरके बिना कवरिंग पत्र लगाये दिनांक 18 अगस्त 2017 तक रमसा कार्यालय श्रीगंगानगर को ईमेल [adpcrmsagn@gmail.com](mailto:adpcrmsagn@gmail.com) पर अथवा वाहक द्वारा भिजवाये जाने पर ही इन छात्राओं हेतु राशि का मांग पत्र रमसा के जयपुर स्थित राज्य कार्यालय को भिजवाया जायेगा। इसके पश्चात् केवल संशोधन प्रस्ताव ही स्वीकार किये जायेगे। नयी सूचना पर विचार नहीं किया जायेगा। पात्र छात्रा इस योजना से वचित रहने पर जिम्मेवारी संबंधित संस्थाप्रधान की होगी। प्रपत्र में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावे।